

भाषा पहुँच कार्ड

जो लोग अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उन्हें अपनी भाषा में निःशुल्क दुभाषिया सहायता का अधिकार है। यह कार्ड सेवा प्रदाताओं को सहायता के लिए दुभाषिया बुलाने से पहले किसी व्यक्ति की भाषा पहचानने में मदद करेगा। इस अधिकार को नागरिक अधिकार अधिनियम के टाइटल VI के तहत परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित के लिए इस कार्ड का उपयोग करें:



आपातकालीन और
गैर-आपातकालीन सेवाएँ



डॉक्टर की मुलाकातें,
अस्पताल और फार्मेशियाँ



सार्वजनिक सहायता
कार्यक्रम



सामाजिक सेवा संगठन



न्यायालय
(शहर, काउंटी,
राज्य और संघीय)



सार्वजनिक परिवहन



सरकारी स्कूल और
विश्वविद्यालय



सार्वजनिक सेवाएँ
(पानी, कचरा, बिजली)

निर्देश

नीचे दिए गए कार्ड को काटें या अपने फ़ोन से फ़ोटो लें। कार्ड को हर समय अपने पास रखें। अपनी भाषा में सहायता माँगने के लिए इसका उपयोग करें। सेवाएँ प्राप्त करने के लिए इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है।



I speak Hindi.

Please contact an interpreter so we can communicate.
People who do not speak English well have a
right under Title VI of the Civil Rights Act to free
interpretation help in their language.

मैं हिंदी बोलता/बोलती हूँ।

कृपया किसी दुभाषिए से संपर्क करें ताकि हम संवाद कर
सकें। जो लोग अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उन्हें
नागरिक अधिकार अधिनियम के टाइटल VI के तहत अपनी
भाषा में निःशुल्क दुभाषिया सहायता पाने का अधिकार है।